

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-६, बरेली ।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-८०१४३५६/१९

दिनांक: ३१.०७.२०१९

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **प्रेमपाल** की ओर से दण्डवाद सं०-६६५/१८, एन.सी.आर.सं.-९५/१३, अन्तर्गत धारा ३२३, ५०४ भा०दं०सं०, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली के मामले में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी अपनी जमानतें गैर हाजिर होने के पर गिरफ्तारी के पश्चात करायी गयी हैं, किन्तु उसके पश्चात भी वह पुनः गैर हाजिर होता रहा है। बार-बार जमानत के पश्चात गैर हाजिर रहा है। अभियुक्त बार-बार गैर हाजिर रहा है। होने का अभयस्त है। जमानतों का बार-बार दुरुपयोग किया गया है, जिस कारण वाद का निस्तारण प्रारम्भ नहीं हो सका है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार पर्याप्त नहीं है। तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रेमपाल** का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-६, बरेली।